

ह्यारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश सं०: 3/2021/10-05/2008- 6288

रांची/दिनांक: 12-11-09

विदित है कि खरीफ मौसम में मानसून के विलम्ब एवं कम वर्षा के कारण धान फसल का आच्छादन एवं उत्पादन में कमी आई है जिससे कि खाद्यान्न की उपलब्धता पर कृप्रभाव पड़ने की आशंका है। खरीफ मौसम में हुई क्षति की भरपाई के लिए रबी मौसम में ली जाने वाली फसलों का आच्छादन एवं उत्पादन बढ़ाया जाना गत वर्ष की अपेक्षा करीब 1.00 लाख हे० अधिक क्षेत्रों के आच्छादन की योजना है।

राज्य के किसानों को रबी फसलों के विभिन्न किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं वैकल्पिक फसल योजना के तहत 20.00 करोड़ की राशि से करीब 51455 विरंटल बीज उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा चुका है। सभी जिलों में बीज पहुंच रहे हैं। उपलब्ध कराये गये बीजों का वितरण सुयोग्य किसानों को सही तरीके से हो इसके लिए सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी को राज्य स्तरीय बैंक में समुचित निदेश दिया जा चुका है जो निम्नप्रकार है :

1. उपलब्ध बीज से वाटरशेड क्षेत्र, एम०एम०के०वाई० कलस्टर एवं एन०एच०एम० में लगे हार्टिकल्चर फसलों से संबंधित क्षेत्र में इन्टीग्रेशन एवं कनभरजेस की प्रक्रिया अपनाकर अधिक से अधिक आच्छादन सुनिश्चित कराया जाना है।
2. किसानों के पास उपलब्ध बीज का शत प्रतिशत बीजोपचार हो इसके लिए भी आर०के०भी०वाई० स्टीम-II के तहत अलग से योजना स्वीकृत की गई है तथा कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया जा चुका है।
3. जिला स्तर से योजना का कार्यान्वयन की कार्रवाई विभागीय पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है।
4. वितरित प्रमाणित बीज का भी बीजोपचार उसमें उपलब्ध कीट^(KID) से किया जाना है।
5. बीज विक्रेताओं से कय कर बीज लगाने वाले को भी बीजोपचार तथा उसके उपादेयता से परिचित कराकर पूर्ण लाभ उठाना है।
6. भारत सरकार के द्वारा आगामी रबी मौसम में विशेष रबी अभियान 2009 के रूप में कार्यान्वित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की ओर से भी इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

Dictation

7. एक्सटेंशन रिफोर्स के तहत विशेष रबी अभियान 2009 के मददे नजर जिला एवं प्रखंड स्तर पर भारत सरकार के कार्य योजना के अनुसार किसानोपयोगी गतिविधियां चलाने हेतु सभी जिलों में अवस्थित आत्माओं को आवश्यक निधि उपलब्ध कराया जा चुका है।
8. राज्य स्तर से योजना का शत प्रतिशत अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन आवश्यकत प्रतीत होता है ताकि उक्त अभियान को सफल बनाया जा सके।
9. उक्त कार्यक्रम के समीक्षा हेतु अनु-1 में जिला स्तर, राज्य स्तर एवं प्रमण्डल स्तर के पदाधिकारियों को प्रतिजिद्युक्त करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे सधन रूप से आरंभित जिलों का भ्रमण करेंगे तथा जिलों के विभिन्न एजेंसी से प्राप्त हो रहे बीजों की समीक्षा तथा प्रखंडों में बीज पहुंचाकर किसानों के बीच बीज वितरण की समीक्षा कर जिला स्तरीय पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग एवं समुचित निदेश देंगे ताकि विशेष रबी अभियान 2009 सफल रूप से कार्यान्वित हो सके।
10. प्रतिनियुक्त राज्य स्तरीय पदाधिकारी विभाग के अन्य पदाधिकारी से कनभरजेंस एवं इनटीग्रेशन भी सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रभावी ढंग से हर जिले में विभाग के पदस्थापित अन्य पदाधिकारी भी जिला कृषि पदाधिकारी से इस अभियान को सफल बनाने में आवश्यक सहयोग देंगे।
11. इस कार्यक्रम में किसी तरीके की समस्या होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तर से भी इसका निराकरण किया जा सके तथा कृत कार्रवाई की प्रतिवेदन भी जिला भ्रमण के उपरांत निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
12. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई पदाधिकारी इस अभियान में अपेक्षित रुची नहीं रखते है तो उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे ताकि ससमय कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।
13. साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी को जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग एवं निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।
14. Rice fallow क्षेत्र में तेलहन/दलहन तथा गर्मा की तैयारी आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से करके आच्छादन किया जाए।
15. प्रगतिशील किसान जो विभिन्न योजनाओं में पूर्ण में आच्छादित (Seed village, कृषक पुरस्कार प्राप्त, कृषि यंत्र/उपकरण विभाग द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त, स्वयं सहायता समूह/महिला किसान, कृषक क्लब

3/1-

Dictation

- (farmers club) नाबार्ह/बैंक द्वारा पोषित को प्राथमिकता दिया जाए ताकि एस0आर0आर0 बढ़ाने में seed presentation पर भी ध्यान रखा जाए।
16. कृषि फसल बीमा (WBCIS/NAIS) से अद्यत करवाकर ज्यादा से ज्यादा का आच्छान किया जाए।
 17. के0भी0के0/प्रगतिशील किसानों को अभियान में प्रभावी तरीके से शामिल कर, पंचायत/प्रमुख कल्क्टर पर पहुंच सुनिश्चित हो।
 18. कृषक की समस्या/भावी फसल योजना में उनका सुझाव प्राप्त करें ताकि उसका प्रभावी कार्रवाई अद्यतर हो।

Ap 12/11/09
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

ज्ञापांक : 3/कृ0र0र0र0-05/2008-6288 संघी/दिनांक : 12-11-09
सरकार के सचिव।
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त के सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 3/कृ0र0र0र0-05/2008-6288 संघी/दिनांक : 12-11-09
सरकार के सचिव।
प्रतिलिपि : कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि पूर्व में भी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को प्रत्येक जिले के लिए एक वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी मात्र चार वैज्ञानिक को ही चिन्हित किया गया है जिसके कारण उनको प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सका है। अपने स्तर से प्रत्येक जिला के लिए एक वैज्ञानिक को प्रतिनियुक्त करते हुए जिला को आवंटित किया जाए तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाए।

ज्ञापांक : 3/कृ0र0र0र0-05/2008-6288 संघी/दिनांक : 12-11-09
सरकार के सचिव।
प्रतिलिपि : निदेशक, प्रसार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी के0भी0के0 को निदेशित करें कि वे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग ले एवं प्रभावी रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही बरतने वाले के0भी0के0 पर अद्यतर कार्रवाई की जायेगी।

Ap 12/11/09
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 3/कृ०५१०२/०-०५/२००८-६२८८ रांची/दिनांक : १२-११-०९
प्रतिलिपि : कृषि विज्ञान केन्द्र, देवघर/गुमला/हॉली कास, हजारीबाग/ग्रामीण
विकास ट्रस्ट, गोड्डा/सी०आर०यू०यू०एस०, हजारीबाग/आर० के० मिशन, रांची को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 3/कृ०५१०२/०-०५/२००८-६२८८ रांची/दिनांक : १२-११-०९
प्रतिलिपि : संबंधित सभी पदाधिकारी/निदेशक, राज्य बागवानी मिशन,
झारखण्ड, रांची/संयुक्त कृषि निदेशक, रांची/दुमका/हजारीबाग/उप कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण,
रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 3/कृ०५१०२/०-०५/२००८-६२८८ रांची/दिनांक : १२-११-०९
प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी
जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के सचिव।

Annexure-I

Sl.no.	Name of the District	Name of the Officer & Designation	Mobile No.
1	Garwa	Sri Avinash Kr. Singh, Under Secretary, Deptt; of Agri. & Cane Dev. Jharkhand	9431910333
2	Palamu	Sri J. J. Tirkey, JDA, Ranchi	9431157627
3	Latehar	Sri Brajeshwar Dubey, DD(G), Directorate of Agriculture, Ranchi	9470524564
4	Chatra	Sri P. M. Ekka, Dy. Dir. Farm, Hazaribagh	9431173531
5	Hazaribagh	Sri Deepak Singh, Special Secretary, Deptt; of Agri. & Cane Dev. Jharkhand	9431104350
6	Koderma	Sri P. N. Tripathi, Dy. Dir. (G), JDA Officer, Hazaribagh	9431188371
7	Ramgarh	Sri Hemant Prabal, JDA. Hazaribagh	9431593519
8	Dhanbad	Dr. Subash Singh, DD, Soil Conservation Research, Demotad, Hazaribagh	9431123397
9	Bokaro	Sri Piyush Kujur, AD(S), Soil Conservation, Hazaribagh	9934171595
10	Giridih	Sri J. P. Tiwari, AD(S), SC. Ranchi	9431182155
11	Ranchi	Smt Prabha Kumari Gupta, Dy. Secretary, Deptt; of Agri. & Cane Dev. Jharkhand	9431147190
12	Khunti	Sri J. S. Choudhary, DD(G), JDA Office, Ranchi	9431115706
13	Lohardaga	Sri Kaila Gari, Dy. Dir. Farm, JDA Office, Ranchi	9431541431
14	Gumla	Sri Gokul Mehra, Director Agriculture, Ranchi	943115705
15	Simdega	Sri Shankar Manjhi, Under Secretary, Deptt; of Agri. & Cane Dev. Jharkhand	9798944062
16	E.Singhbhum	Sri R. P. Singh, Director, Soil Conservation, Ranchi	9431395373
17	Saraikela	Smt Jyoti Minz, Principal, ETC, Hchal, Ranchi	9431334760
18	W.Singhbhum	Sri A. P. Singh, Mission Director, NHM, Ranchi	9431360297
19	Jamtara	Sri Rambhaju Matha, Assistant Seed Testing Officer, Dumka	9431072139
20	Dumka	Sri Rajendra Kishore, Assistant Seed Testing Officer, Ranchi	9431361632

21	Deoghar	Sri R. N. Prasad, JDA, Dumka	9431164924
22	Godda	Sri Ravish Chandra, AD(P), Directorate of Agriculture, Ranchi	9905102791
23	Pakur	Sri Herman Minz, DD(P), Directorate of Agriculture, Ranchi	9431325927
24	Sahebganj	Sri M.S.A. Mahalingshiva, Assistant Director, Quality Control Lab, Ranchi	9430155640

**झारखण्ड राज्य के कृषि विभागीय
पदाधिकारियों का कार्यालय एवं
मोबाईल नम्बर**

अनु II

क्रमांक	पदाधिकारी का पदनाम	मोबाईल नं०	कार्यालय दूरभाष
1	कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची	9431115705	0651-2233549
2	संयुक्त कृषि निदेशक, रांची	9431157627	0651-2230476
3	संयुक्त कृषि निदेशक, हजारीबाग	9431593519	06546-262713
4	संयुक्त कृषि निदेशक, दुमका	9431164924	06434-230673
5	जिला कृषि पदाधिकारी, रांची	9304011997	0651-2231382
6	जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला	9431360950	06524-223192
7	जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	9431974838	06526-224627
8	जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा	9835310438	06525-225278
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जमशेदपुर	9939159758	0657-2701935
10	जिला कृषि पदाधिकारी, चाईबासा	9431170833	06582-259003
11	जिला कृषि पदाधिकारी, सराचकेला	9431175050	06597-234284
12	जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू	9431788636	06562-223886
13	जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा	9431327414	06561-223076
14	जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार	9431357389	06565-248074
15	जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग	9835275062	06546-270752
16	जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा	9905791015	06534-252826
17	जिला कृषि पदाधिकारी, बतस	9431283808	06541-222769
18	जिला कृषि पदाधिकारी, गिरीडीह	9430315150	06232-226674
19	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद	9852961132	0326-2310354
20	जिला कृषि पदाधिकारी, बोकारो	9431322512	06542-286284
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका	9431561523	06434-222380
22	जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर	9431396555	06432-234802
23	जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा	9308428289	06433-223064
24	जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज	9835345613	06436-222429
25	जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़	9431936680	06535-220602
26	जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा	9431762762	06422-222226
27	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, झूँटी	9931140545	-
28	प्रभारी पदाधिकारी, रामगढ़	9835275062	-
29	परियोजना निदेशक, आत्मा, हजारीबाग	9431181027	-

41-